

प्रारंभिक परीक्षा

आयुर्वेद आहार

संदर्भ

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने आयुष मंत्रालय के सहयोग से "आयुर्वेद आहार" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत आयुर्वेदिक खाद्य उत्पादों की एक आधिकारिक सूची जारी की है।

आयुर्वेद आहार के बारे में -

- **अर्थ:** आयुर्वेद आहार से तात्पर्य आयुर्वेद के समग्र आहार सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए खाद्य उत्पादों से है - जो एक प्राचीन स्वास्थ्य और कल्याण प्रणाली है।
- **मूल सिद्धांत:** ये खाद्य पदार्थ संतुलन, मौसमी उपयुक्तता और चिकित्सीय गुणों वाले प्राकृतिक अवयवों तथा जड़ी-बूटियों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **नियामक पृष्ठभूमि:** यह पहल खाद्य सुरक्षा और मानक (आयुर्वेद आहार) विनियम, 2022 का अनुसरण करती है, जो पारंपरिक आयुर्वेदिक व्यंजनों, अवयवों और प्रक्रियाओं पर आधारित खाद्य पदार्थों को आधिकारिक तौर पर मान्यता देती है।
- **प्रामाणिकता:** नई जारी की गई सूची अनुसूची ए में उल्लिखित आधिकारिक आयुर्वेदिक ग्रंथों पर आधारित है और विनियमों की अनुसूची बी के नोट (1) के तहत जारी की गई है।
- **उद्देश्य:** आयुर्वेद आहार उत्पादों के निर्माण के लिए स्पष्ट, विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करके खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया।
- **प्रभाव:** विनियामक स्पष्टता को बढ़ाता है, उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच विश्वास बढ़ाता है, और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद-आधारित पोषण को बढ़ावा देता है।
- **महत्व:** प्रामाणिकता और मानकीकरण के साथ भारत के प्राचीन खाद्य ज्ञान को मुख्यधारा के खाद्य क्षेत्र में एकीकृत करना।

स्रोत: [द हिंदू](#)

बॉन्ड स्विचिंग(Bond Switching)

संदर्भ

भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026 में अल्पकालिक बांडों को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में बदलकर ब्याज लागत में 560 करोड़ रुपये की बचत की है - जिससे उसकी ऋण परिपक्वता अवधि बढ़ गई है और तत्काल पुनर्भुगतान और ब्याज दबाव कम हो गया है।

बॉन्ड स्विचिंग के बारे में -

- **परिभाषा:** बांड स्विचिंग तब होती है जब सरकार (आरबीआई के माध्यम से) मौजूदा बांडों को अलग-अलग परिपक्वता, कूपन दर या दोनों के साथ नए बांडों के साथ बदलती है।
- **उद्देश्य:** मुख्य रूप से ऋण परिपक्वता का विस्तार करने, मोचन दबाव का प्रबंधन करने और ब्याज लागत को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **तंत्र:**
 - सरकार परिपक्वता के करीब पहुंच चुके अल्पकालिक बांडों को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों से बदलने की पेशकश कर रही है।
 - निवेशक (जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां) अपनी हिस्सेदारी स्वेच्छा से बदलते हैं।
- **सरकार को लाभ:**
 - पुनर्भुगतान दायित्वों को लंबी अवधि तक फैलाता है।
 - तत्काल नकदी बहिर्वाह कम हो जाता है और औसत उधार लागत कम हो सकती है।
 - ऋण परिपक्वता प्रोफ़ाइल को सुचारू बनाता है, तथा पुनर्भुगतान में बड़ी देरी से बचाता है।
- **निवेशकों को लाभ:**
 - निवेश लक्ष्यों के साथ पोर्टफोलियो को संरेखित करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है।
 - इससे लंबी अवधि के लिए अनुकूल पैदावार को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है।
- **जोखिम/विचार:**
 - स्विच के लिए बाजार की मांग प्रतिफल वक्र की स्थितियों पर निर्भर करती है।
 - यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो निवेशक लंबी परिपक्वता अवधि को स्वीकार करने में अनिच्छुक हो सकते हैं।
- **उदाहरण:** वित्त वर्ष 2026 में (अब तक), बॉन्ड स्विचिंग से भारत सरकार को ब्याज लागत में ₹560 करोड़ की बचत हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹54 करोड़ थी।

स्रोत: [इकोनॉमिक टाइम्स](#), [इंडिया टाइम्स](#)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

संदर्भ

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के लिए विशेष पंजीकरण अभियान को 15 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के बारे में -

- **प्रकार एवं लॉन्च:** केंद्र प्रायोजित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना 2017 में शुरू की गई।
- **उद्देश्य:**
 - आंशिक वेतन हानि का मुआवजा प्रदान करना ताकि महिलाएं प्रसव (पहला बच्चा) से पहले और बाद में आराम कर सकें।
 - गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देना।
- **कवरेज:**
 - सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की महिलाओं के लिए।
 - पहले दो जीवित बच्चों के लिए लागू है, तथा दूसरे बच्चे के लिए लाभ केवल तभी मिलेगा जब वह लड़की हो।
- **मौद्रिक लाभ:**
 - प्रारंभिक गर्भावस्था से लेकर प्रसव तक 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
 - संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत अतिरिक्त ₹1,000।
- **किस्त संरचना:**
 - **₹1,000** – गर्भावस्था पंजीकरण पर।
 - **₹2,000** – गर्भावस्था के 6 महीने पूरे होने पर + कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच।
 - **₹2,000** – जन्म पंजीकरण के बाद + टीकाकरण का पहला चक्र (बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस-बी)।
- **विशेष प्रावधान:**
 - गर्भपात या मृत जन्म के मामलों को लाभ पात्रता के लिए नए मामलों के रूप में माना जाता है।

स्रोत: [पीआईबी](#)

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB)

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) को जल अधिनियम और वायु अधिनियम के तहत प्रदूषणकारी संस्थाओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का अधिकार है।
- न्यायमूर्ति पी.एस.नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि PCB संभावित पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए निवारक उपायों के रूप में कार्य करते हुए, निश्चित मौद्रिक दंड या बैंक गारंटी के माध्यम से पुनर्स्थापन या प्रतिपूरक क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं।

PCB को मुआवजा वसूलने का वैधानिक अधिकार -

- सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) की शक्तियों का विस्तार किया।
- **PCB प्रदूषित वायु और जल निकायों को बहाल करने के लिए पुनर्स्थापनात्मक और क्षतिपूर्ति शुल्क लगा सकते हैं और वसूल सकते हैं।**
- निवारक (पूर्व-पूर्व) उपायों के रूप में निश्चित मौद्रिक राशि या बैंक गारंटी की मांग की जा सकती है:
 - धारा 33A, जल अधिनियम, 1974
 - धारा 31A, वायु अधिनियम, 1981

दायरा और सीमाएँ -

- हर वैधानिक उल्लंघन के लिए मुआवजा नहीं।
- केवल तभी लागू जब:
 - पर्यावरणीय क्षति हुई हो, या
 - क्षति आसन्न हो।
- पहले दोनों अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ कानून (नियम/विनियम) बनाना होगा।
- मुआवजा लगाने से पहले नियमों को प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करना होगा।

फैसले का समर्थन करने वाले मामलें -

- **वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच (1996)** और **भारतीय पर्यावरण-कानूनी कार्यवाई परिषद (1996)** पर आधारित।
- इन मामलों ने पर्यावरणीय पुनर्स्थापन को दंडात्मक उपायों से अलग एक संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्य के रूप में स्थापित किया।

न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत -

1. **उपचारात्मक बनाम दंडात्मक:**
 - पुनर्स्थापनात्मक मुआवजा = निवारक/उपचारात्मक
 - जुर्माना/कारावास = दंडात्मक, न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता।
2. **गैर-दंडात्मक प्रकृति:** पर्यावरणीय क्षति के लिए मौद्रिक मुआवजा, यदि नियामक शक्तियों के तहत लगाया जाता है, तो दंडात्मक नहीं होता है।
3. **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत** तब लागू होता है जब:
 - पर्यावरणीय सीमा का उल्लंघन हुआ, जिससे क्षति हुई।
 - सीमा उल्लंघन के बिना भी क्षति होती है।
 - उल्लंघनों के बावजूद महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान की गई।
4. **निवारक कर्तव्य:** PCB को बिना किसी प्रमाणित क्षति के भी पूर्व-सक्रियता से कार्य करना चाहिए।

व्यापक अधिकार और जिम्मेदारियाँ -

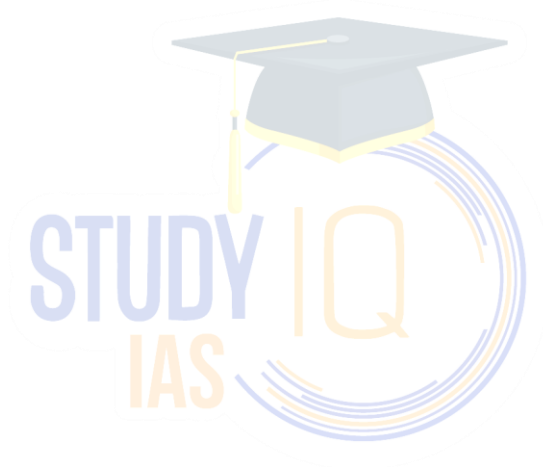
- जल एवं वायु अधिनियमों के अंतर्गत पीसीबी को निम्नलिखित के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त हैं:
 - उद्योगों को बंद करना।

- आवश्यक सेवाएँ बंद करना।
- उपचारात्मक निर्देश जारी करना।
- अनुच्छेद 51A के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु राज्य के संवैधानिक कर्तव्य से संबद्ध।
- जलवायु संकट के बीच वायु और जल संरक्षण के महत्व पर बल दिया गया।

उपचारात्मक न्यायशास्त्र को मजबूत करना -

- स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के विस्तार के लिए मजबूत उपचारात्मक शक्तियों की आवश्यकता है।
- केवल निषेधाज्ञा या मुआवजा अपर्याप्त है।
- पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए पुनर्स्थापनात्मक उपाय पर्यावरण प्रवर्तन का मुख्य हिस्सा होना चाहिए।

स्रोत: [द हिंदू](#)



अचानक आने वाली बाढ़(Flash Flood)

संदर्भ

उत्तरकाशी के धराली कस्बे में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, लगभग 60-70 लोग लापता हो गए तथा घरों और होटलों को भारी नुकसान पहुंचा।

अचानक आने वाली बाढ़ या फ्लैश फ्लड क्या है?

फ्लैश फ्लड अचानक, तीव्र बाढ़ होती है जो भारी या अत्यधिक वर्षा, बांध टूटने, ग्लेशियर झील के फटने, या तेजी से बर्फ पिघलने के बाद आमतौर पर छह घंटे के भीतर अल्प अवधि में आती है।

प्रमुख विशेषताएँ:

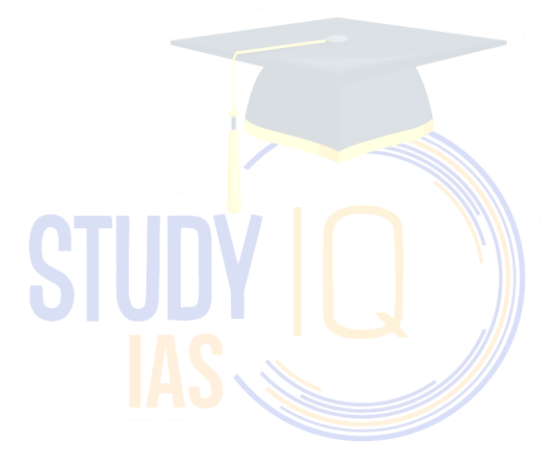
- **तीव्र शुरुआत:** बहुत कम या कोई चेतावनी समय नहीं।
- **अल्प अवधि:** जल स्तर तेजी से बढ़ता और घटता है।
- **उच्च तीव्रता:** तीव्र धाराएं जो लोगों, वाहनों और बुनियादी ढांचे को बहा ले जाने में सक्षम हैं।
- **स्थानीयकृत प्रभाव:** प्रायः छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करता है, लेकिन गंभीर क्षति पहुंचाता है।

भारत में अचानक आने वाली बाढ़ पर अध्ययन -

- **उद्देश्य का दायरा**
 - भारत में अचानक बाढ़ की आशंका के बारे में विस्तृत आंकड़ों की कमी को दूर करता है।
 - जलविज्ञान और भू-आकृति विज्ञान संबंधी आंकड़ों का उपयोग करके भारतीय उपमहाद्वीपीय नदी घाटियों में अचानक बाढ़ की आशंका का मानचित्रण करता है।
 - हिमालय, पश्चिमी तट और मध्य भारत को प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित करता है।
- **अचानक बाढ़ के क्षेत्रीय कारण**
 - **हिमालय:** खड़ी ढलान और ऊंचाई के कारण जोखिम अधिक है।
 - **पश्चिमी तट एवं मध्य भारत:** उच्च "फ्लैशनेस" (तेज़ अपवाह) बाढ़ की संवेदनशीलता को बढ़ाता है।
 - गंगा बेसिन के भीतर, दक्षिणी हिमालयी उप-बेसिन में मध्य भागों की तुलना में अधिक संवेदनशील हैं।
- **कारण और जोखिम कारक**
 - 75% आकस्मिक बाढ़ अत्यधिक वर्षा और संतृप्त मृदा संयोजन के कारण आती है।
 - केवल 25% घटनाएं अत्यधिक वर्षा के कारण होती हैं।
 - संतृप्त मिट्टी जल अवशोषण को रोकती है, जिससे तेजी से अपवाह होता है।
 - केवल 23% अत्यधिक वर्षा की घटनाएं ही छह घंटे के भीतर बाढ़ का कारण बनती हैं - लम्बे समय तक बारिश एक बड़ा कारक है।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव**
 - गर्म वातावरण में प्रति 1°C वृद्धि पर ~7% अधिक नमी होती है → अधिक वर्षा होती है।
- **अत्यधिक वर्षा में वृद्धि (1981-2020):**
 - प्री-मानसून: दोगुना
 - मानसून: +56%
 - मानसून के बाद: +40%
 - शीतकाल: +12.5%
 - 75% से अधिक आकस्मिक बाढ़ (1980-2018) मानसून के दौरान आई।
 - 1995 के बाद से अचानक बाढ़ की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र, गंगा और कृष्णा घाटियों में।
- **बाढ़ के बदलते पैटर्न**
 - पहले गैर-प्रवण उप-बेसिन में से 51% में अब वर्षा में वृद्धि देखी गई है।
 - 66.5% गैर-प्रवण क्षेत्रों में अब उच्च प्रवाह ("गीले घंटे") है।

- कुछ मौजूदा बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में बारिश के घंटों में कमी देखी गई है, जो संवेदनशील क्षेत्रों में बदलाव का संकेत है।
- **अनुकूलन और शमन रणनीतियाँ**
 - केवल वर्षा की तीव्रता ही नहीं, बल्कि स्थलाकृति, मृदा और जल विज्ञान को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएँ।
 - पूर्व चेतावनी प्रणालियों और आपदा तैयारियों में सुधार।
 - जलवायु-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे में निवेश।
 - भूमि-उपयोग नियोजन को अद्यतन करना और एकीकृत बाढ़ प्रबंधन अपनाना।
 - जोखिम बढ़ने से पहले अनुकूलन हेतु उभरते हॉटस्पॉट की पहचान करना।

स्रोत: [द हिंदू](#)



संपादकीय सारांश

मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे निपटा जाना चाहिए?

संदर्भ

राज्यसभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 5,892 मामले अपने हाथ में लिए हैं, लेकिन अब तक केवल 15 मामलों में ही दोषसिद्धि हुई है।

इसका क्या तात्पर्य है?

इससे दो मुख्य समस्याएं सामने आती हैं:

- अनेक जांचों के बावजूद बहुत कम दोषसिद्धि हुई।
- धन शोधन के मामलों की बढ़ती संख्या का अर्थ है कि कानून ऐसे अपराधों को प्रभावी ढंग से नहीं रोक पा रहा है।

लॉन्ड्रोमैट (Laundromat) क्या है?

लॉन्ड्रोमैट एक ऐसी प्रणाली है जो काले धन को साफ करती है - अपराध के माध्यम से अर्जित धन को वैध दिखाने वाले धन में बदल देती है।

- यह शब्द वास्तविक लॉन्ड्रोमैट से आया है, जिसका उपयोग अमेरिकी अपराध समूहों द्वारा अवैध धन के लिए किया जाता था।
- लॉन्ड्रोमैट बैंक, वित्तीय कंपनियां या फर्जी फर्म हो सकती हैं जिनका उपयोग धन छिपाने, करों से बचने या उसे विदेश ले जाने के लिए किया जाता है।
- वे अपराध के धन को वैध बनाने, संपत्ति के स्वामित्व को छिपाने और मुद्रा कानूनों को तोड़ने में मदद करते हैं।

धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है?

- **PMLA की धारा-3 के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ है अपराध के माध्यम से अर्जित धन को वैध दिखाने के लिए उसे परिवर्तित करना।**
- यह तीन चरणों में होता है:
 - **प्लेसमेंट:** काले धन को वित्तीय प्रणाली में डालना। उदाहरण के लिए, संदेह से बचने के लिए बड़ी रकम को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना (जिसे **स्मर्फिंग** कहते हैं)।
 - **लेयरिंग:** धन के स्रोत को छिपाने के लिए उसे कई खातों या निवेशों के माध्यम से स्थानांतरित करना।
 - **एकीकरण:** साफ किये गए धन का उपयोग संपत्ति, व्यवसाय या परिसंपत्तियां खरीदने के लिए करना।

सुप्रीम कोर्ट ने **पी. चिदंबरम बनाम ईडी (2019)** उन्होंने कहा कि अवैध धन छिपाने से भारत की वित्तीय प्रणाली, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

PMLA क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्य कार्यक्रम (फरवरी 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया) के अनुरूप, **धन शोधन निवारण अधिनियम (2002) निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बनाया गया था:**
 - धन शोधन को रोकना, और
 - अवैध संपत्ति को जब्त करना।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
 - सबूत का भार आरोपी पर है, सरकार पर नहीं।

- **ECIR** (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) पर्याप्त है। एफआईआर की आवश्यकता नहीं है।
- किसी कृत्य को मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में परिभाषित करने के लिए एक अनुसूचित अपराध (जैसे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, नशीली दवाओं का व्यापार) की आवश्यकता होती है।

कार्यान्वयन में समस्याएँ -

- **बढ़ते मामले, कम दोषसिद्धि:** मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम मामलों में सजा हो पाती है।
 - इससे यह प्रश्न उठता है कि कानून का कितनी अच्छी तरह से क्रियान्वयन हो रहा है।
- **कानून का संभावित दुरुपयोग:** कानून का उपयोग कभी-कभी राजनीतिक लक्ष्यीकरण के लिए किया जाता है।
 - उदाहरण के लिए, **विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022)** मामले में, अदालत ने कहा कि कोई आपराधिक मामला दर्ज न होने पर भी संपत्ति जब्त की जा सकती है। इससे कुछ मामलों में सत्ता का दुरुपयोग हुआ है।

आगे की राह -

- **बेहतर कार्यान्वयन:** जांच एजेंसियों को एफएटीएफ (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
 - जाँच निष्पक्ष, सावधानीपूर्वक और साक्ष्य-आधारित होनी चाहिए, न कि राजनीति से प्रेरित।
- **दुरुपयोग रोकना, दोषसिद्धि में सुधार करना:** कानून का उपयोग वास्तविक अपराधों को लक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि विपक्षी नेताओं को।
 - दोषसिद्धि दर में सुधार होगा तथा जनता का विश्वास बहाल होगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय समर्थन:** भारत ने 85 देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव के समझौतों (DTAAs) पर हस्ताक्षर किए हैं।
 - ये वित्तीय और कर संबंधी जानकारी साझा करने में सहायता करते हैं, जिससे विदेशों में काला धन छिपाना कठिन हो जाता है।

स्रोत: [द हिंदू](#)

भारत का डिजिटल कल्याण: कुशल लेकिन कम लोकतांत्रिक?

संदर्भ

- भारत ने कल्याण के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग में भारी प्रगति की है।
 - लेकिन कार्यकुशलता के लिए यह प्रयास नागरिक भागीदारी को कम कर सकता है और जवाबदेही को कमजोर कर सकता है।
 - कल्याणकारी योजनाएं अधिक तकनीकी और डेटा-आधारित होती जा रही हैं, लेकिन कम लोकतांत्रिक होती जा रही हैं।

प्रौद्योगिकी किस प्रकार कल्याणकारी राज्य को बदल रही है -

- डिजिटल प्रणाली एक तर्क का अनुसरण करती है जो इस प्रकार है:
 - एकतरफ़ा (ऊपर से नीचे डिलीवरी)
 - सुव्यवस्थित और मापनीय (निगरानी करने में आसान)
 - त्रुटियों या जटिलता के प्रति कम सहनशील

प्रमुख चुनौतियाँ -

- **कल्याणकारी शासन में तकनीकी बदलाव:** 1 अरब से अधिक आधार नामांकन और डीबीटी पर 1206 योजनाएं भारत के डिजिटल-प्रथम कल्याण मॉडल को दर्शाती हैं।
 - ध्यान अब "किसे मदद की ज़रूरत है" से हटकर "कुशलतापूर्वक मदद कैसे प्रदान की जाए" पर केंद्रित हो गया है - इस बदलाव ने कल्याण को अधिकारों से कम और डेटा और एल्गोरिदम से अधिक जोड़ दिया है।
- **लोकतंत्र की कमी:** ई-श्रम और पीएम-किसान जैसी योजनाएं इसके उदाहरण हैं।
 - ये कार्यक्रम कुशलतापूर्वक लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन लोगों के अनुभवों या स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी करते हैं।
 - नागरिकों को अब अधिकार रखने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि डेटा प्रविष्टियों या लाभार्थियों के रूप में देखा जाता है, जिनकी इस व्यवस्था के संचालन में कोई भागीदारी नहीं होती, जैसा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की आधार असहमति में आलोचना की गई थी।
- **कल्याणकारी व्यय और पारदर्शिता में गिरावट आ रही है:** "कल्याणकारी राज्य" की तमाम बातों के बावजूद, भारत का सामाजिक व्यय कम हो गया है - औसतन 21% (2014-2024) से घटकर 2024-25 में 17% हो गया है।
 - अल्पसंख्यक, श्रम, पोषण और रोज़गार जैसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी क्षेत्रों पर भारी असर पड़ा है। इन क्षेत्रों में खर्च कोविड-19 से पहले 11% से घटकर अब सिर्फ़ 3% रह गया है।
 - वहीं, सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रणाली भी संकट में है। जून 2024 तक, सूचना आयोगों में 4 लाख से ज्यादा मामले लंबित थे और 8 पद रिक्त थे।
 - इससे पारदर्शिता की कमी और नागरिक निगरानी में कमजोरी का पता चलता है।
- **'एल्गोरिदमिक अलगाव' का उदय:** केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) शिकायतों पर अच्छी तरह नज़र रखती है और कई मामलों का समाधान करती है। लेकिन हो सकता है कि यह स्पष्ट ज़िम्मेदारी के बिना ऐसा कर रही हो।
 - हालांकि समस्याओं को रिकॉर्ड किया जा रहा है और उन्हें बंद किया जा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में उन्हें ठीक करने के लिए कौन जिम्मेदार है।
 - इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां प्रौद्योगिकी दृश्यता तो बढ़ाती है लेकिन जवाबदेही छिपाती है।

क्या किया जा सकता है?

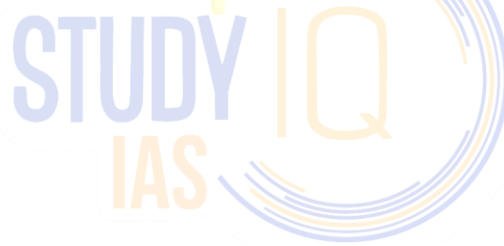
- **डिजिटल प्रणालियों को अधिक लोकतांत्रिक बनाना:** ऐसी प्रणालियां बनाना जो तनाव के कारण ध्वस्त न हो - मानवीय विवेक, संदर्भ-संवेदनशीलता और स्थानीय फीडबैक लूप को इसमें शामिल करना।

- इसे लोकतांत्रिक एंटीफ्रैगिलिटी कहा जाता है - एक ऐसी प्रणाली जो तनाव के दौरान सीखकर और अनुकूलन करके बेहतर होती है।
- **स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना:** राज्यों और गाँवों को अपने लोगों के लिए कारगर कार्यक्रम बनाने की ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए। **केरल में कुदुम्बश्री जैसे कार्यक्रम** इसके अच्छे उदाहरण हैं।
- **नागरिकों की आवाज़ वापस लाना:** ग्राम सभाओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रतिक्रिया को और भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना। नागरिकों को निर्णयों पर सवाल उठाने और बेहतर सेवाओं की माँग करने में सक्षम होना चाहिए।
- **डिजिटल प्रणालियों में अधिकारों की सुरक्षा:** इसके लिए स्पष्ट नियम होने चाहिए:
 - डिजिटल सिस्टम विफल होने पर ऑफ़लाइन सहायता
 - पूर्वाग्रह जाँच
 - अपील और स्पष्टीकरण का अधिकार - ताकि लोग गलत निर्णयों को चुनौती दे सकें
 - गरीबी पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने भी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समुदायों को शामिल करते हुए नियमित ऑडिट की सिफारिश की है।

निष्कर्ष: नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करना -

- डिजिटल उपकरण कल्याणकारी योजनाओं को तेज़ी से और साफ़-सुथरे ढंग से लागू करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शासन के मानवीय पहलू को भूल जाएँ, तो व्यवस्था कुशल तो हो सकती है, लेकिन अन्यायपूर्ण भी।
- एक सच्चे विकसित भारत को लोगों को सिर्फ़ आंकड़ों के रूप में नहीं देखना चाहिए। नागरिकों को शासन में भागीदार होना चाहिए - सिर्फ़ निष्क्रिय लाभार्थी नहीं।
- आइए एक ऐसी प्रणाली बनाएं जो स्मार्ट, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक हो - जो सिर्फ़ मशीनों की नहीं, बल्कि लोगों की भी सुनती हो।

स्रोत: [द हिंदू](#)



धोखाधड़ी वाले वैज्ञानिक अनुसंधान का बड़े पैमाने पर उत्पादन

संदर्भ

- 4 अगस्त को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (पीएनएस) की कार्यवाही में प्रकाशित एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि वैज्ञानिक धोखाधड़ी अब दुर्लभ या अलग-थलग नहीं रह गई है।
 - अब यह व्यवस्थित, संगठित और तेजी से बढ़ रही है, जिससे दुनिया भर में अनुसंधान की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को खतरा पैदा हो रहा है।

धोखाधड़ी करने वाले लोग कौन हैं?

- यह धोखाधड़ी सिर्फ कुछ बुरे लोगों की वजह से नहीं है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें शामिल हैं:
 - पेपर मिलें - नकली शोध पत्र लिखने और बेचने वाली कंपनियाँ
 - दलाल - बिचौलिए जो ग्राहकों को प्रकाशित होने में मदद करते हैं
 - संपादक और समीक्षक - जो जानबूझकर नकली काम स्वीकार करते हैं
 - पत्रिकाएँ - विशेष रूप से निम्न-गुणवत्ता वाली या अपहृत पत्रिकाएँ, जो शुल्क लेकर कुछ भी प्रकाशित करती हैं
- उदाहरण: भारत में ARDA (शैक्षणिक अनुसंधान और विकास संघ)
 - इसकी संख्या 14 से बढ़कर 86+ हो गई, जो प्रकाशन की गारंटी प्रदान करती है।
 - जब पुरानी पत्रिकाएं पकड़ी जाती हैं या हटा दी जाती हैं तो अक्सर नई पत्रिकाओं पर स्थानांतरित हो जाते हैं।
 - लेखकत्व भी बिकता है - उदाहरण के लिए, एचआईवी/एड्स पर एक पत्रिका में प्रकाशित हेज़लनट रोस्टिंग पर एक पेपर।

धोखाधड़ी का पता कैसे चलता है -

- संपादकों के छोटे-छोटे समूह कई समस्याग्रस्त पत्रों को संभाल रहे हैं
- कुछ पत्रिकाओं में नकली शोध के समूह थे, जिनमें अक्सर कॉपी की गई छवियों या टेम्पलेट जैसी संरचनाओं का उपयोग किया जाता था
- आरएनए जीव विज्ञान और कैंसर अनुसंधान जैसे क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुए

परेशान करने वाले रुझान -

- हर 1.5 साल में फर्जी कागजातों की संख्या दोगुनी हो रही है
- कपटपूर्ण प्रकाशन ईमानदार विज्ञान की तुलना में 10 गुना तेज़ी से बढ़ रहा है
- स्कोपस या वेब ऑफ साइंस जैसे डेटाबेस द्वारा डीइंडेक्सिंग बहुत धीमी है
 - प्रतिवर्ष केवल ~100 पत्रिकाओं को डीइंडेक्स किया जाता है, जबकि हजारों फर्जी कार्य प्रकाशित करते हैं
- अधिकांश फर्जी कागजात कभी वापस नहीं लिए जाते - केवल 25% ही कभी वापस लिए जा सकते हैं
- और केवल 10% ही उन पत्रिकाओं में प्रकाशित हो सकते हैं जिन्हें अंततः डीइंडेक्स कर दिया जाता है

ऐसा क्यों हो रहा है?

- विज्ञान में वर्तमान पुरस्कार प्रणाली:** शोधकर्ताओं का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उन्होंने कितने शोधपत्र प्रकाशित किए हैं, उन्हें कितनी बार उद्धृत किया गया है, या वे किन पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं।
 - यह कई लोगों को नकली कागजात खरीदकर या कौनों को काटकर "सिस्टम को खेलने" के लिए प्रेरित करता है
 - युवा वैज्ञानिकों के लिए धोखाधड़ी एक "नई सामान्य बात" बनती जा रही है, क्योंकि प्रणाली ईमानदारी को नहीं, बल्कि अच्छे परिणाम को पुरस्कृत करती है।

जोखिम क्या है?

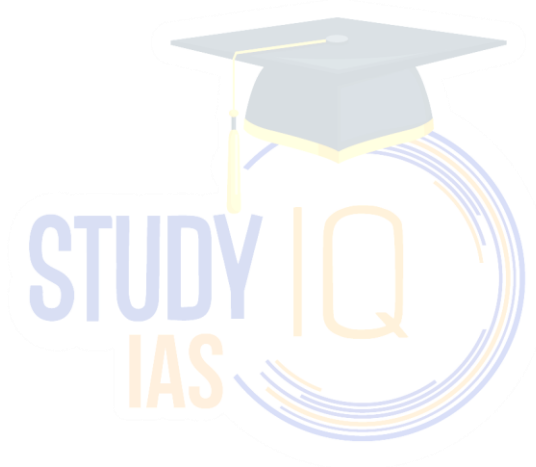
- ईमानदार वैज्ञानिक बड़े पैमाने पर उत्पादित नकली शोध से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते
- फंडिंग, पदोन्नति और शैक्षणिक सफलता उन लोगों को मिलती है जो धोखा देते हैं
- विज्ञान में जनता का विश्वास टूट सकता है
- झूठे विज्ञान पर आधारित स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी संबंधी निर्णय वास्तविक दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं

क्या किया जाने की जरूरत है -

अध्ययन में तत्काल सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया गया है:

- कदाचार का पता लगाने और दंडित करने के लिए मजबूत और स्वतंत्र प्रणालियाँ
- जर्नल गुणवत्ता जांच के लिए बेहतर संसाधन
- प्रोत्साहनों पर पुनर्विचार करना - मात्रा की बजाय गुणवत्ता को बढ़ावा देना
- ऐसी प्रणालियाँ बनाएँ जिन्हें धोखाधड़ी करने वालों द्वारा आसानी से हेरफेर न किया जा सके

स्रोत: [द हिंदू](#)



भारत की भू-राजनीतिक चुनौती

संदर्भ

वैश्विक भू-राजनीति में भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। शक्ति संतुलन बदल रहा है, लेकिन भारत उतना प्रभाव नहीं हासिल कर पा रहा है जितना उसे हासिल करना चाहिए। उसे वैश्विक मंच पर और अधिक साहसपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है।

भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

- **आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर चुप्पी:** ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम (अप्रैल 2025) में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमले के प्रति भारत की प्रतिक्रिया थी।
 - स्पष्ट साक्ष्य के बावजूद, भारत के कई साझेदार देश पाकिस्तान की भूमिका पर चुप रहे।
- **अमेरिका-भारत टकराव:** जिस दिन भारत-अमेरिका ने एक प्रमुख उपग्रह (निसार) का प्रक्षेपण किया, उसी दिन अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर **25% टैरिफ लगा दिया।**
 - ट्रम्प ने धमकी दी कि यदि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो भारत पर और अधिक टैरिफ लगाए जाएंगे - हालांकि अमेरिका स्वयं अभी भी रूस के साथ व्यापार करता है।
 - इसके अलावा, "अमेरिका फर्स्ट" एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश करने से हतोत्साहित किया गया।
- **यूरोपीय संघ का असमान व्यवहार:** यूरोपीय संघ ने रूसी तेल का उपयोग करने वाली एक भारतीय रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अपने सदस्यों को रूस से तेल खरीदना जारी रखने की अनुमति दे दी।
 - एक नए व्यापार समझौते (भारत-यूरोपीय संघ व्यापक-आधारित व्यापार और निवेश समझौता (बीटीआईए)) पर बातचीत करते हुए भारत पर व्यापार बाधाएं लगाना जारी रखे हुए है।
 - भारत को उम्मीद है कि ब्रिटेन के साथ उसका व्यापार समझौता यूरोपीय संघ पर अधिक निष्पक्ष होने का दबाव डालेगा।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:**
 - चीन भारत के पड़ोस में कदम बढ़ा रहा है:
 - नये गठबंधनों का प्रस्ताव (जैसे चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश)।
 - भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट एक पुराने एयरबेस को पुनर्जीवित करने में बांग्लादेश की मदद की।
 - ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया।
 - मालदीव में प्रभाव बनाया।
 - भारत को दी जाने वाली प्रमुख आपूर्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास:
 - उर्वरक
 - दवाएं (एपीआई)
 - दुर्लभ मृदाएँ
 - तकनीकी विशेषज्ञ
 - भारत की सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण।
- **निष्क्रिय विदेश नीति छवि:** भारत प्रमुख वैश्विक संकटों (जैसे, गाजा, यूक्रेन, ईरान-इज़राइल) पर तटस्थ या चुप रहा है।
 - यद्यपि तटस्थता लचीलापन प्रदान करती है, लेकिन बदले में यह वैश्विक शक्तियों के प्रभाव और समर्थन को भी सीमित करती है।

आगे की राह -

- अमेरिका और यूरोपीय संघ के दोहरे मानदंडों को उजागर करने में किए गए अनुचित व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाएं।

- वैश्विक संघर्षों पर अधिक बोलें, जैसे गाजा में युद्ध विराम का आह्वान, जो अधिक सक्रिय विदेश नीति का संकेत है।
- अमेरिका-भारत संबंधों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए भारत को अमेरिका के साथ शीघ्र ही व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना होगा।
- भारत भले ही RIC (रूस-भारत-चीन) गठबंधन को पुनः शुरू न करे, लेकिन उसे यह करना चाहिए:
 - ब्रिक्स को मजबूत करना (भारत 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा)।
 - एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) के साथ पुनः जुड़ना।
 - पूर्वी एशिया के साथ अधिकाधिक संपर्क स्थापित करना, विशेषकर **RCEP** से बाहर होने के बाद।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

- यह दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के 10 सदस्य देशों और उसके एफटीए साझेदारों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है।
- इन साझेदारों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।

स्रोत: [द हिंदू](#)

